



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25019

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4356/2026

कंचन अग्रहरि

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जगत पाल सिंह, नरेंद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश न्यायमूर्ति पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजकर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत वाद संख्या 11650/2025, कंप्यूटर वाद संख्या T20251060311650 का निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

"(7). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहां तक संभव हो, आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर उप-विभागीय अधिकारी द्वारा संपन्न की जाएगी।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि बीत चुकी है, परन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"